

कार्यालय : निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।

प्रा०शि०चयन (स०अ०प्रा०वि०)/2013-14

दिनांक: 01 फरवरी, 2014

विस्तृत विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु सहायक अध्यापक का चयन

(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिसर ननूरखेड़ा देहरादून के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 22 फरवरी, 2014)

शासनदेश संख्या: 149/XXIV (1)/2014-28/2010 शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून: दिनांक 31 जनवरी, 2014 के क्रम में राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापको के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राज्य स्तरीय चयन के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं।

आवेदन करने हेतु अनिवार्य अर्हतायें:-

(1) शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता :-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें निम्नवत् हैं :-

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, जो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हो, से स्नातक की उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ए०/बी०ए० (विशेष शिक्षा)/डी०ए० (विशेष शिक्षा) अर्हता प्राप्त की हो।
- (ii) उत्तराखण्ड सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा-1 से 5 के शिक्षको हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।

(2) अभ्यर्थी की आयु :-

अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति हेतु 01 जुलाई, 2013 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति में, अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट होगी तथा भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में शासनादेशानुसार छूट देय होगी। विकलांगो हेतु अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी, परन्तु किसी भी दशा में निर्धारित तिथि को 50 वर्ष से अधिक आयु का अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) राष्ट्रीयता एवं निवास :-

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत /नवीनीकृत हो।

(4) आरक्षण :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्ग के लिए उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त आदेशों के अनुसार उर्ध्वार /क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(5) वैवाहिक प्रास्थिति :-

सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

(6) चरित्र :-

चयन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे कि वह चयन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

(7) आवेदन की प्रक्रिया :-

- (क) जनपद के जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण पत्र चयन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ख) अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र में सभी आवश्यक सूचनाएं अंकित करनी होंगी।
- (ग) आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा के वेब साइट **www.school education.uk.in** पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगा, जिसे A-4 साइज के पेपर पर डाउनलोड किया जा सकेगा। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापित से भी आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिसर, ननूरखेड़ा देहरादून के पते पर इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र अन्तिम तिथि 22 फरवरी, 2014 के सायं 5.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जाय। निर्धारित अन्तिम तिथि (22 फरवरी, 2014) एवं समयावधि (सायं 5.00 बजे तक) के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। डाक विलम्ब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साधारण डाक/कोरियर/दस्ती आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।

अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचनाएं अंकित की जायेंगी, उससे भिन्न सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों से इतर प्रमाण पत्र को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र प्रेषण की अन्तिम तिथि के पश्चात् निर्गत कोई भी आवश्यक एवं अधिमानी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में जनपद का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। चयन करने वाली संस्था वरिष्ठता तथा प्राप्त विकल्प के अनुसार जनपद आवंटित करेंगी।

- (घ) सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क ₹ 500/- तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ₹ 250/- निर्धारित है। शुल्क अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगा। बैंक ड्राफ्ट मूलरूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विकलांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा उन्हें नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(8) चयन प्रक्रिया :-

समस्त चयन प्रक्रिया अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड देहरादून के पर्यवेक्षण/ निर्देशन में संपादित की जायेगी। चयन प्रशिक्षण वर्ष की

ज्येष्ठता एवं गुणांकों की मेरिट के आधार पर किया जायेगा। गुणांकों की गणना निम्नवत् की जायेगी।

(क) अभ्यर्थियों के नाम उनकी शैक्षिक, प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त गुणांकों के योग के अनुसार प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे, परन्तु यदि दो अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण वर्ष एवं गुणांक समान हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी। गुणांकों की गणना निम्नवत् की जायेगी:-

क्रमांक	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणांक
01	हाईस्कूल	$\frac{\text{अंको का प्रतिशत} \times 0.75}{10}$
02	इण्टरमीडिएट	$\frac{\text{अंको का प्रतिशत} \times 1.5}{10}$
03	स्नातक	$\frac{\text{अंको का प्रतिशत} \times 2.25}{10}$
04	प्रशिक्षण-बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/ डी0एड0 (विशेष शिक्षा) क-सिद्धान्त ख-प्रयोगात्मक	$\frac{\text{अंको का प्रतिशत} \times 3}{10}$ $\frac{\text{अंको का प्रतिशत} \times 1.5}{10}$
05	अध्यापक पात्रता परीक्षा (कक्षा 1 से 5 हेतु)	$\frac{\text{अंको का प्रतिशत} \times 1}{10}$

संयुक्त वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर तैयार की जायेगी और विकल्पानुसार अभ्यर्थियों को जनपद आवंटित किए जायेंगे।

- (ख) जनपद में उपलब्ध कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर के तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।
- (ग) अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र में, जो सूचनाएं अंकित होंगी, उन्हीं के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। आवेदन पत्र के साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा सी0टी0ई0टी0 (कक्षा 1 से 5 के लिए) उत्तीर्ण का अंक पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक परीक्षा एवं बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) परीक्षा के अंक पत्र/ प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण के प्रामाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां एवं बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न की जायेंगी। श्रेणीवार पृथक-पृथक 25 प्रतिशत से अनधिक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी।
- (घ) विज्ञापन में आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक संबंधित अभ्यर्थी द्वारा समस्त निर्धारित अर्हताएं पूरी होनी चाहिए।
- (ङ) चयन समिति द्वारा प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं अर्जित गुणांकों की श्रेष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों के विकल्पानुसार जनपद आवंटित किया जायेगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित जनपद अपरिवर्तनीय होगा।

- (च) चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थी को आवंटित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) को प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०), जनपद में स०अ० रा०प्रा०वि० के रिक्त पदों के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद हेतु आवंटित चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों से रिक्ति अनुसार विकास खण्ड का विकल्प लिया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) चयनित अभ्यर्थियों के वरिष्ठता अनुसार उन्हें विकास खण्ड आवंटित करेंगे।
- (छ) चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, नियुक्ति अधिकारी द्वारा अभिलेखों का निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने की दशा में चयन/जाँच/नियुक्ति/प्रशिक्षण किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9) छः माह का विशेष प्रशिक्षण :-

नियुक्ति के पश्चात् अभ्यर्थियों को छः माह के प्रशिक्षण पर सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जायेगा, जिसमें से तीन माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण अभ्यर्थी द्वारा अपने तैनाती वाले विद्यालय में ही प्राप्त करना होगा।

(10) राज्य स्तरीय चयन हेतु समिति:- चयन हेतु समिति निम्नवत् होगी:-

1. अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड— अध्यक्ष
2. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा नामित) — सदस्य
3. संयुक्त निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड— सदस्य
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक अधिकारी — सदस्य
5. उप निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड — सदस्य सचिव

(11) मौलिक नियुक्ति :-

राज्य स्तरीय चयन के पश्चात् अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(12) जनपदवार उपलब्ध सम्भावित रिक्तियों की संख्या (उक्त रिक्तियाँ घट/बढ़ भी सकती है) निम्नवत् है :-

क्र०सं०	जनपद का नाम	उपलब्ध रिक्तियों की संख्या
1.	उत्तरकाशी	66
2.	चमोली	60
3.	रुद्रप्रयाग	50
4.	हरिद्वार	46
5.	पौड़ी गढ़वाल	86
6.	देहरादून	76
7.	टिहरी गढ़वाल	100
8.	अल्मोड़ा	120
9.	उधमसिंहनगर	130
10.	बागेश्वर	86
11.	पिथौरागढ़	110
12.	चम्पावत	50
13.	नैनीताल	0
योग		980

(13) सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेवा विकास खण्ड संवर्ग सेवा है तथा सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति के पदों हेतु विषय संयोजन होना अनिवार्य है।

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के राज्य स्तरीय चयन हेतु आवेदन पत्र (2014)

(आवेदन पत्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं स्वच्छ भरा जाय। कटिंग एवं ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाय। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।)

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाया जाय। हस्ताक्षर इस प्रकार से किये जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा आवेदन पत्र पर रहे

1. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में).....

2. पिता का नाम (हिन्दी में).....
पति का नाम (विवाहित महिला हेतु).....

3. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
(DD) (MM) (YYYY)

(शब्दों में)

4. (अ) गृह जनपद का नाम व पता (थाना सहित)

(ब) पत्र व्यवहार का पता (थाना सहित)

5. टेलीफोन नम्बर यदि हो (एस0टी0डी0 कोड सहित)

मोबाइल नम्बर यदि हो.....

6. लिंग कोड (महिला-1 पुरुष-2)

7. जाति कोड (सामान्य-1, अनुसूचित जाति-2, अनुसूचित जनजाति-3, अन्य पिछडा वर्ग-4).....

8. क्षैतिज आरक्षण कोड (विकलांग दृष्टिबाधित-5, विकलांग श्रवणद्वय-6, विकलांग चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता-7, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित-8, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)-9, महिला-10, विशिष्ट खिलाड़ी-11, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी-12, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित-13)

9. विषय वर्ग (विज्ञानेत्तर-14, विज्ञान-15)

10. अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता का विवरण:

परीक्षा	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा का वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट					
स्नातक					
बी0एड0 / बी0एड0 (विशेष शिक्षा) / डी0एड0(विशेष शिक्षा)	सैद्धान्तिक				
	प्रयोगात्मक				
अध्यापक पात्रता परीक्षा (1 से 5 तक)					

11. बैंक ड्राफ्ट का विवरण (मूल बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें) :-

बैंक एवं शाखा का नाम	बैंक ड्राफ्ट नम्बर तथा दिनांक	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि

12. नियुक्ति हेतु जनपद का वरीयता क्रम (कृपया जनपद के सम्मुख कॉलम में वरीयतानुसार 1 से 13 तक अंकों एवं शब्दों में लिखें। उदाहरण के लिए 1 प्रथम, 2 द्वितीय...आदि) :-

क्र०सं०	जनपद का नाम	वरीयता क्रम		क्र०सं०	जनपद का नाम	वरीयता क्रम	
		अंकों में	शब्दों में			अंकों में	शब्दों में
1	उत्तरकाशी			8	अल्मोड़ा		
2	चमोली			9	उधमसिंह नगर		
3	रूद्रप्रयाग			10	बागेश्वर		
4	हरिद्वार			11	पिथौरागढ़		
5	पौड़ी गढ़वाल			12	चम्पावत		
6	देहरादून			13	नैनीताल		
7	टिहरी गढ़वाल						

13. संलग्नकों का विवरण:- 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थान/प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक :

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पठनीय हस्ताक्षर

निम्नांकित विवरण राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा भरा जायेगा।

1. डाकघर का रजिस्ट्री क्रमांक.....आवेदन पत्र प्राप्ति तिथि.....

2. आवंटित कन्ट्रोल नम्बर

अभ्यर्थी के विवरण का संलग्नकों से मिलान किया गया तथा सही पाया गया।

जाँचकर्ता का नाम सहित/मुहर